UPSR010010872026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– अमित कुमार प्रजापति (उच्चतर न्यायिक सेवा ID UP06330)

जमानत आवेदन सं०–420/2026

बाउर उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्र रूस्तम,

निवासी–लौकीपुरवा, थाना को० भिनगा, जनपद श्रावस्ती।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

राज्य उ०प्र० **.....अभियोगी**

अ० सं०–219/2026
धारा– 109(1), 352, 351(3), 61(2)
बी०एन०एस० व 3/5/25 आर्म्स एक्ट
थाना–को० भिनगा, जिला–श्रावस्ती।

दिनांक 05.06.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **बाउर** की ओर से अपराध संख्या 219/2026, धारा–109(1), 352, 351(3), 61(2) बी०एन०एस० व 3/5/25 आर्म्स एक्ट , थाना को० भिनगा, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक राज प्रकाश सिंह, थाना को० भिनगा, जनपद श्रावस्ती द्वारा इस आशय की तहरीर दी गई कि दिनांक 20.05.2026 समय मध्य रात्रि को वह अपने सहकर्मियों के साथ गश्त पर देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम था। वह लोग जानकीनगर से भिनगा जंगल होते हुए अन्टा तिराहे पर आए तो उन्हें मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि भिनगा जंगल तालाब में बने जंगलनुमा टीले पर चार पांच लोग अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं तथा टीले के नीचे दो मोटरसाइकिल भी खड़ी हैं तथा अगर वे जल्दी करें तो बदमाशों को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। सड़क पर गुजरने वाले लोगों से गवाही के लिए कहा गया तो उनके द्वारा कोर्ट कचहरी के चक्कर व भलाई बुराई के डर से कोई गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ। तत्पश्चात आपस में सावधानीपूर्व जामा तलाशी लेने के बाद यह इत्मिनान किया गया कि पुलिसवालों के पास में कोई भी नाजायज वस्तु नहीं है। घटना स्थल पर पहुँचने के बाद तालाब में बने टीले के की ओर आग जल रही थी। मुखबिर खास इशारा करके चला गया। पुलिस द्वारा बदमाशों की घेरा

बन्दी की गयी तथा जैसे ही वे उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़े, चार में से तीन बदमाशों ने चिल्लाकर कहा कि डंके मारो गोली साले पुलिसवाले हैं नहीं तो ये उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। उक्त क्रम में एक बदमाश द्वारा जान से मारने की नियत से लक्ष्य बनाकर एक राउंड फायर किया गया। किसी भी पुलिस वाले को गोली नहीं लगी। साथ के ही उ०नि० विवेक राठौर द्वारा आत्मरक्षार्थ सरकारी पिस्टल से एक राउण्ड फायर किया गया, किन्तु गोली किसी को नहीं लगी। पुनः अभियुक्तगण द्वारा गालियाँ देते हुए रुककर अवैध असलहे से पुलिस टीम पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ शौर्य का परिचय देते हुए पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करने के उद्देश्य से अभियुक्तगण पर सरकारी पिस्टल से फायर किया गया। एक अभियुक्त को बाएं पैर के घुटने में गोली लगी तथा तीन अभियुक्तगण जो भागने के प्रयास में थे उनको दौड़ाकर पकड़ लिया गया। अभियुक्त जिसको कि पैर में गोली लगी थी का नाम साबिर अली उर्फ डंके पुत्र बसारत था, जामातलाशी लिए जाने पर एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व कुछ रुपए, एक मोबाइल फोन वीवो कंपनी का तथा दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ एक अदद तमंचा 315 बोर जिसके नाल को खोल कर देखा गया तो चैंबर में एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर का पड़ा है। दूसरे अभियुक्त का नाम पूछे जाने पर बाउर पुत्र रुस्तम बताया गया जिसके पास से पैंट की पिछली जेब से एक अदद रियलमी मोबाइल फोन बरामाद हुआ। बाउर लंगड़ा कर चल रहा था जिसका कारण पूछने पर पता चला कि वह भागते समय किसी वजनी चीज पर गिर गया था। तीसरे आदमी का नाम मो० कासिम पुत्र अब्दुल हफीज बताया गया जिसकी जामा तलाशी लेने पर कुछ रुपए तथा पैंट में खुसा हुआ एक अदद पिस्टल 32 बोर जिसके मैगजीन को निकाल कर देखा गया तो मैगजीन के अन्दर एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर का पड़ा था। पैंट की दूसरी जेब से 32 बोर पिस्टल की एक खाली मैगजीन अतिरिक्त व एक अदद मोबाइल फोन नथिंग कम्पनी का बरामद हुआ। चौथे ने अपना नाम छतरबहादुर कार्की पुत्र सबल बहादुर कार्की निवासी ग्राम बरगदा भूरीगांव जिला बरदिहा नेपाल राष्ट्र बताया तथा अपने को काशिम का साला बताया। उसके उपरांत भट्ठी को पानी डालकर बुझाया गया। मौके से नाजायज तथा अर्धनिर्मित हथियार की बरामगी हुई। पकड़े गए बदमाशों ने अवैध हथियार निर्मित करना स्वीकार किया गया। निर्माण करने के बाद वे पैसा कमाने के उद्देश्य से उन हथियारों को बेच देते थे। वहाँ पे खड़ी मोटरसाइकिल के कागजात मांगे जाने पर वह लोग उसे नहीं प्रस्तुत कर सके। तलाशी के दौरान पकड़े गये व्यक्तियों के पास से रुपये नगद व कुछ तमंचे व कारतूस बरामद किये गये जिसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया है तथा आवश्यक कार्यवाही की गई।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि

आवेदक/अभियुक्त उक्त अभियोग में तथाकथित घटना से अनभिज्ञ व अज्ञान है मात्र पुरानी रंजिश के कारण परेशान विभागीय लाभ लेने के लिए फर्जी मुठभेड़ की घटना दिखाकर चालान कर दिया गया है। पुलिस पार्टी द्वारा फर्जी मुठभेड़ घटना दिखाई गई है। जिसमें आवेदक/अभियुक्त कोई द्वारा फायर करने की बात नहीं बताई गई है। जामा तलाशी में आवेदक/अभियुक्त के पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गई है। दौरान रिमाण्ड प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिमाण्ड प्रस्तुत करते समय अभियुक्त साबरि के बायें पैर में फायर आर्म का अंकन किया है किन्तु चिकित्सा करने वाले डाक्टर के द्वारा इन्ट्री वुन्ड पर किसी गन शाट रिजिड्यू का वर्णन नहीं किया है न ही गन शाट के जगह के आस पास ब्लैकनिंग/टैटुइंग का उल्लेख किया गया है, जिससे गन शॉट की दूरी के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाला जा सके। उक्त प्रकरण की विवेचना उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार इन्काउन्टर करने वाले टीम को लीड करने वाले पुलिस अधिकारी को करना चाहिए था जब कि अपने से निम्न स्तर के अधिकारी को विवेचक नियुक्त किया गया जो उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। उक्त अभियोग में पुलिस पार्टी पर फायर करना बताया गया है किन्तु किसी को फायर आर्म की चोटें नहीं आई हैं। जिस कारण भी मुठभेड़ की घटना फर्जी प्रतीत होती है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को थाना हाजा की पुलिस द्वारा कुत्सित भावनाओं के कारण फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मनगढ़न्त तथ्यों पर आधारित है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अवैध असलहे बनाकर उसका कारोबार किया जा रहा था। घटना स्थल पर पुलिस दल द्वारा रोके जाने पर उनके द्वारा पुलिस दल के सदस्यों पर फायर आर्म से हमला किया गया। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना है।

6– मुकदमा अपराध संख्या 219/2026, थाना को० भिनगा, जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। उक्त मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से उक्त घटना में संलिप्तता से इंकार करते हुए इस आशय का तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसके पास से कोई भी बरामदगी नहीं हुई है तथा फर्जी इन्काउन्टर दिखाकर रंजिशन उसे फंसाया गया है। उक्त घटना में किसी भी पुलिस दल के सदस्य को फायर आर्म इन्जरी होना नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त का इस मामले के अतिरिक्त पूर्व का कोई भी आपराधिक इतिहास विवेचक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही किसी

मामले में न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने की कोई आख्या प्राप्त हुई है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई अन्तिम राय प्रकट न करते हुए, इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त बाउर का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **बाउर** का जमानत आवेदन निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता हैः–

I– यह कि आवेदक/अभियुक्त अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

II– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 351 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

III– यह कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास हजार रूपये की दो जमानतें व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

(अमित कुमार प्रजापति)
प्र० सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 05.06.2026